न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प रीवा म0प्र0 — 151

109

673
22/9/14

R. 3504-III/14

भैया लाल तनय रामाधीन धोबी निवासी ग्राम बीरखाम, तहसील सेमरिया, जिला रीवाम0प्र0 ---निगरानीकर्ता

बनाम

सुरेन्द्र कुमार रजक तनय रामाश्रय रजक पेशा नौकरी निवासी ग्राम बीरखाम, तहसील सेमरिया, जिलारीवाम0प्र0

—गैर निगरानीकर्ता

श्री रघुवेश प्रताप सिंह .एड द्वारा आज दिनांक 22-9-14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी बिरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक रा0नि0वृत्त सेमरियातहसील सेमरियाजिला रीवा के न्यायालय के मामला क्रमांक 23अ12/2013-2014 आदेश दिनांक 14.7.2014

निगरानी अन्तर्गत धारा 50म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बिधि, प्रक्रिया तथ्यो व नियमो के बिपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2 यह कि, भूमि नं. 214 रकबा 1.85ए. स्थित ग्राम बीरखाम, तहसील सेमरिया जिलारीवाम0प्र0 निगरानीकर्ता के स्वत्व व अधिपत्य व कब्जे दखल की भूमि है जिसभूमि का बटनवारा नामान्तरण हेतु गैर निगरानीकर्ता तहसील न्यायालय मे आवेदन पत्र पेश किया गया जिसका रा0प्र0क्र028अ27/2009-2010 दिनांक 29.7.2011 को निरस्त किया गया जिसकी अपील गैर निगराकार द्वारा अनुबिभागीय अधिकारी के न्यायालय मे कीगयी जिसका अपील, प0क्र0 23/27/अपील/2011-12 जो दिनांक 1.12.12 को अपील स्वीकार करली गयी अनुबिभागीय अधिकारी के आदेश के बिरूद्ध निगरानीकर्ता माननीय अपर आयुक्त के न्यायालय मे द्वितीय अपील पेश किया जो बिचाराधीन है कि गैर निगराकार माननीय अपर आयुक्त के न्यायालय मे द्वितीय अपील पेश किया जो

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 3504–तीन/2014/ निगरानी   जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-09-17	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया तहसील सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण कमांक 2 अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 14–7–14 के विरू, म.प्र.भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने राजस्व निरीक्षक सेमरिया के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर शासकीय अभिलेख में उसके नाम अंकित भूमि सर्वे कमांक 214/1 ख, 214/2 ख, 214/3 ख के सीमांकन की मांग की। राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण कमांक 2 अ–12/13–14 दर्ज कर हलका पटवारी से सीमांकन कराया गया है। पटवारी ने दिनांक 26–6–14 को मौके पर जाकर सीमांकन कार्यवाही की, पंचनामा तैयार किया तथा सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर आपत्ति न आने से राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया तहसील सेमरिया जिला रीवा ने प्रकरण कमांक 2 अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 14–7–14 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान कर दी। आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित होना बताया है एंव वाद विचारित भूमि का मामला अपर आयुक्त के न्यायालय में विचाराधीन होना भी बताया है। किन्तु यह भी निर्विवाद है कि सीमांकित भूमि अनावेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में दर्ज है जिसके सीमांकन कराने का वह अधिकारी है। अनावेदक की भूमि के सीमांकन से आवेदक स्वयं की भूमि को प्रभावित होना मानता है, तब वह स्वयं की भूमि का	

सीमांकन आर.आई. अथवा उससे वरिष्ठ अधीक्षक भू अभिलेख से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन एंव सीमांकन आदेश दिनॉक 14–7–14 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। फलतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

सदस्य